न्यायालय उप जिलाधिकारी (सदर) आगरा।

वाद सं0 31 / 11–12

स्काई इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट एंड टैक्नोलोजी
द्वारा सचिव संजीव कुमार यादव   बनाम्   उ0प्र0 सरकार
अ0धारा–143उ0प्र0ज0वि0 एवं भू0व्य0अधि0
मौजा–लड़ामदा
तह0 व जिला– आगरा

नकल फोटो प्रति **आदेश** । दिनांक २५.१०.११ भय रिपोर्ट व नक्शा नजरी

आवेदक स्काई इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट एंड टैक्नोलोजी लड़ामदा द्वारा सचिव संजीव कुमार यादव पुत्र ओंकार सिंह नि0 87एम0आई0जी0 न्यू शाहगंज तह0, जिला आगरा द्वारा मौजा लडामदा भूमि खाता सं020 गाटा सं0272 / 0.5030हे0, का 1/2 भाग, खाता स0 45' गाटा सं0 273 / 0.5080हे0 मे से 0.4053हे0 भूमि को आकृषिक / आबादी घोषित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

न्यायालय के आदेश दि0 02.09.2011 द्वारा प्रा0 पत्र जॉच हेतु तहसीलदार सदर आगरा को भेजा गया। तहसीलदार सदर आगरा द्वारा क्षेत्रीय लेखपाल, ना0तहसीलदार से स्थलीय निरीक्षण एवं अभिलेखीय परीक्षण कराकर उनकी आख्या दि0 30.09.2011 अपनी संस्तुति आख्या दि0 14.10.2011 प्रस्तुत की। आख्या में उल्लेख किया गया है कि आवेदक प्रा0पत्र में उल्लिखित भूमि का सं0भू0है तथा आवेदक काबिज है। प्रार्थी सहखातेदार है तथा अपने भाग हेतु आवेदन किया है। प्रार्थी आपसी बटवारे में काबिज है। धारा 176 में बटवारा नहीं हुआ है। प्रश्नगत भूमि के आस–पास 500मी0 की आबादी विकसीत हो रही है। प्रश्नगत भूमि किसी महायोजना एवं अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित नही है। प्रश्नगत भूमि स्थल पर कृषि, पशुपालन, मत्सयसंवर्धन, कुक्कुटपाल तथा उद्यानीकरण आदि के प्रयोजन मे नही लायी जा रही है। अकृषिक / आबादी के प्रयोग में है। उक्त प्रश्नगत भूमि अनुसूचित जाति / जनजाति के पटटे की भूमि नही है। सामान्य जाति की है। प्रश्नगत भूमि का किसी भी न्यायालय में वाद विचाराधीन नहीं है। प्रार्थी की प्रश्नगत भूमि मे ग्राम सभा / सरकारी भूमि शामिल नही है। कोई अवैध कब्जा नही है। अतः ग्राम लडामदा के गाटा सं0272मि0 / 0.2515, व गाटा सं0273मि0 / 0.4053, 2किता / 0.6568 मा0गु0 21.67 को उ0प्र0ज0वि0 एव भू0व्य0 अधि0 की धारा 143 के अन्तर्गत अ5कृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु संस्तुति की है।

तहसील की उक्त आख्या के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध नियम 135(1) की सूचना, जिसे क्षेत्रीय लेखपाल, ना0तहसीलदार एवं तहसीलदार सदर आगरा द्वारा अपने हस्ताक्षर से सत्यापित किया है। साथ ही स्थल का नजरी नक्शा, जिसमें प्रश्नगत भूमि लाल रोशनाई से प्रदर्शित है, को क्षेत्रीय लेखपाल, ना0तहसीलदार एवं तहसीलदार सदर आगरा द्वारा अपने हस्ताक्षर से सत्यापित किया है। नकल खतौनी सन्1413फ0–1418फ0 में प्रार्थी का नाम सकमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। व नकल खसरा सन् 1416फ0, 1417फ0 1418फ0 व 1419फ0 तथा प्रार्थी का शपथ पत्र एवं स्थलीय फोटोग्राफ भी सलग्न कर भेजें है। चूकि तहसील आख्यानुसार प्रश्नगत भूमि वर्तमान में कृषि, मत्सय, संवर्धन एवं कुक्कुटपालन के उपयोग में नही आ रही है व तहसील आख्या के साथ संलग्नक शपथ पत्र से सन्तुष्ट होते हुए उक्त प्रश्नगत भूमि खाता सं020 गाटा 272मि0 / 0.2515, व खाता सं0 45 के गाटा सं0273मि0 / 0.4053, 2किता / 0.6568हे0,मा0गु0 21.67 पैसे धारा 143उ0प्र0ज0वि0 एवं भू0व्य0 अधि0 के सपठित नियम 135(3) के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित की जाती है। तहसील आख्या के साथ संलग्नक उक्त आदेश का अंग रहेगें। तदनुसार प्रख्यापन जारी हो। पत्रावली बाद आ0 कार्यवाही दाखिल दफ्तर की जाये।

24.10.11

(अनिल कुमार)
उप जिलाधिकारी (सदर)

Principal
Sky Institute of Pharmacy
Ladamda, Bichpuri, Agra

6-9-12